न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :—नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

अपील संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
5/12	18.11.2024 बउनवान	09.07.2025

01. छुटटी देवी पत्नी दीनू खां जाति मेव निवासी ग्राम महुवाखुर्द तहसील मालाखेडा

अपीलान्ट

बनाम

01. ग्राम पंचायत महुवाखुर्द पंचायत समिति मालाखेडा जरिये सरपंच
02. अख्तर पुत्र साहबूदीन
03. असरी पुत्री सब्बल
04. अपसरी पत्नी स्व. निज्जर
05. अरसद पुत्र स्व. निज्जर
06. इरसाद पुत्र स्व. निज्जर
07. मजलिस पुत्र स्व. निज्जर
08. मनीषा पुत्री स्व. निज्जर समस्त कौम मेव निवासीयान ग्राम महुवाखुर्द तहसील मालाखेडा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक—05.09.2017
इन्तकाल संख्या 958 ग्राम पंचायत सालपुर

—:निर्णय:—

वकील अपीलान्ट ने तहत अदालत ग्राम पंचायत सालपुर के आलौच्य आदेश दिनांक 05.09.2017 इन्तकाल संख्या 958 वाके ग्राम सालपुर से व्यथित होकर पेश की। अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि इन्तकालधीन आराजी अपीलान्ट अख्तर पुत्र साहबूदीन, असरी पुत्री सब्बल, अपसरी पत्नी स्व. निज्जर, अरसद, इरसाद, मजलिस पुत्रान स्व. निज्जर, मनीषा पुत्री स्व. निज्जर के खातेदारी की आराजी हाल जमाबन्दी के खाता संख्या 2 के खसरा नम्बर 92 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 93 रकबा 0.50 हैक्टेयर, 94 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर मे से अख्तर पुत्र साहबूदीन का 1/12 दर हिस्सा 11/95 सालिम, असरी पुत्री सब्बल का 12/190 हिस्सा सालिम व अपसरी पत्नी स्व. निज्जर , अरसद, इरसाद, मजलिस पुत्रान स्व. निज्जर, मनीषा पुत्री स्व. निज्जर का 12/190 सालिम हिस्सा व खाता संख्या 31 के आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 99 रकबा 0.51 हैक्टेयर, 100 रकबा 0.45 हैक्टेयर, 101 रकबा 0.94 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.18 हैक्टेयर मे से अख्तर पुत्र साहबूदीन का 15/684 दर हिस्सा 1/3 सालिम से है। उक्त आराजी का दान ग्रहिता छुटटी देवी के हक मे दिनांक 19.07.2017 को किया गया। इन्तकाल संख्या 958 दिनांक 05.09.2017 को स्वीकार किया गया है। जिस इन्तकाल मे अपीलान्ट का सही व वास्तविक हिस्सा 31/228 हैक्टेयर के स्थान पर 29/228 दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

किया जाकर स्वीकृत किया है जो हिस्सा कम है। अपीलान्ट का वास्तविक हिस्सा 31/228 हैक्टेयर तथा यही हिस्सा अपीलान्ट के समस्त दान पत्रो के दस्तावेजो मे दर्ज है। उक्त इन्तकाल मे अपीलान्ट का गलत हिस्सा दर्ज होने से अपीलान्ट के हक–हकूक जायल होने का अन्देशा है चूंकि उक्त इन्तकाल का अमल अपीलाधीन आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज किया गया है। इसलिये उपरोक्त इन्तकाल मे अपीलान्ट का हिस्सा 31/228 के स्थान पर 29/228 दर्ज किया गया है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अपील स्वीकार कर तहत आलोच्य आदेश दिनांक–05.09.2017 बाबत इन्तकाल संख्या 958 वाके ग्राम सालपुर को निरस्त कर अपीलान्ट का 29/228 हिस्सा के स्थान पर सही व वास्तविक 31/228 हिस्सा संशोधित करने का अनुतोष चाहा।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 की विधिवत रूप से रजिस्टर्ड तलबी होने के उपरान्त हाजिर अदालत नही होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐ इन्तकाल की जानकारी से अपील प्रस्तुत करने तक के समय का मुजरा किया जाकर अपील स्वीकार करने का कथन किया।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं विवादित इन्तकाल संख्या 958 दिनांक 05.09.2017 का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा देरी से पेश करने के समय को कन्डोन किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा तहत पारित आलोच्य आदेश दिनांक– 05.09.2017 इन्तकाल संख्या 958 ग्राम सालपुर मे अपीलान्ट के हिस्से गलत होना अंकित किया है। तहत आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट एवं अन्य खातेदारान के हिस्सो की पूर्ण जॉच करने के पश्चात ही आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु तहत अदालत ने हिस्सो की विस्तृत जॉच किये बिना ही आदेश पारित कर दिया जो प्रथम द्रष्टया अपास्त योग्य है।

अतः तहत पारित आलौच्य आदेश दिनांक–05.09.2017 इन्तकाल संख्या 958 ग्राम सालपुर तहसील मालाखेडा अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमान्ड) किया जाता है कि अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारान के हिस्सो की भली प्रकार जॉच कर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मालाखेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

निर्णय आज दिनाक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०